मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता.

संदर्भ.—वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/चार, दिनांक 1-9-2012.

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों को देय गृह भाड़ा भत्ते की दर संदर्भित आदेश दिनांक 1-9-2012 द्वारा पुनरीक्षित की गई है.

2. अत: राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुक्रम में निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता सन्दर्भित ज्ञाप में उल्लेखित दरों की तुलना में एक प्रतिशत अधिक से देय होगा. यह आदेश 1-11-2011 से प्रभावशील होगा तथा दिनांक 1-9-2012 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.